Reg N.;20(Hq.)/87-Dated ; 15.09.87 Tel. 7325058829

कार्यालय, दि झारखण्ड स्टेट आदिवासी को–ऑपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन लि0 (वेजफेड),राँची।

चतुर्थ तल, पशुपालन–सह–सहकारिता भवन, सिंह मोड़, हेसाग, हटिया, राँची 834003

GSTIN. : -20AAAJT2257J1Z8 E-mail : - vegfed.ranchi@gmail.com

पत्रांक 573 (I)/वेजफेड, राँची दिनांक 16.11.2023

इच्छा की अभिव्यक्ति का पुनर्आमंत्रण

विभागीय योजना 2022–23 अन्तर्गत वेजफेड के द्वारा राज्य के विभिन्न स्थलों पर 10 इकाई खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाई का अधिष्ठापन किया जाना है।

उक्त इकाई के अधिष्ठापन व संचालन हेतु वेजफेड से सम्बद्ध 02 सहकारी समिति का चयन किया जा चुका है। शेष इकाईयों के अधिष्ठापन व संचालन हेतु वेजफेड से सम्बद्ध इच्छुक सहकारी समिति/FPO/SHG/Chamber of Farmers से इच्छा की अभिव्यक्ति का आमंत्रण किया जाता है। इच्छुक एवं योग्य समितियाँ/FPO/SHG/Chamber of Farmers वेजफेड के नाम से मो0 500/– रूपए नगद/डी0डी0 जमा कर वेजफेड कार्यालय से कार्य दिवस के दौरान अथवा विभागीय वेबसाईट– http://cooperative.jharkhand.gov.in से प्रपत्र एवं नियम शर्तें प्राप्त कर उक्त विषय से संबंधित आवेदन/प्रस्ताव एवं प्रपत्र दिनांक 13.12.2023 के अपराह्न 4:00 बजे तक समर्पित कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए वेजफेड कार्यालय से कार्यावधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/–

प्रबंध निदेशक

वेजफेड, राँची।

<u>खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाई के संचालन हेतु विहित प्रपत्र</u>

प्रबंध निदेशक, वेजफेड के नाम से प्रस्ताव समर्पित किए जाएंगे। आवेदक द्वारा विस्तृत विवरणी, जो नियम व शर्तों से संबंधित है वर्णित विहित प्रपत्र I-II में समस्त आवश्यक सूचनाएँ अंकित कर तथा प्रपत्र– III (शपथ पत्र) को अनिवार्य रूप से नोटरी पब्लिक से सम्पन्न कराकर संलग्न करना होगा। प्रपत्र–IV में वित्तीय प्रस्ताव में मासिक संचालन राशि तथा आवेदित खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाई का स्थल व नाम का उल्लेख करना होगा, जो सील बंद लिफाफे में समर्पित करना होगा।

ह0 / –

प्रबंध निदेशक,
वेजफेड, राँची।

प्रपत्र–I

खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाई हेतु आवेदन प्रपत्र (2022–23)

<table>
<tr><td>1</td><td>समिति / FPO/SHG/Chamber of Farmers का नाम एवं कार्यालय का पूर्ण पता</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>निबंधन संख्या एवं वर्ष</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>अध्यक्ष / सचिव / निदेशक का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>दूरभाष सं0</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>ईमेल आई0डी0 (यदि हो)</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>वेजफेड से सम्बद्धता संबंधी प्रमाण</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>सदस्यों की संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>प्रदत्त हिस्सा पूँजी</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>पैन नं0 (यदि हो)</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>जी.एस.टी. (यदि हो)</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>कार्यकारिणी / बोर्ड का प्रस्ताव (संलग्न करें)</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>अद्यतन निर्वाचन प्रमाण पत्र (संलग्न करें)</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>अद्यतन अंकेक्षण प्रतिवेदन (संलग्न करें)</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>लाभ–हानि की स्थिति</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>कार्यशील पूँजी</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>शपथ पत्र (Notarized)</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>कच्चे माल के क्रय हेतु लगभग 6–8 लाख रूपए वहन करने संबंधी प्रमाण (संलग्न करें)</td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td>गत् 02 (दो) वर्षों में किए गए बैंक ट्रांजेक्शन का विवरण (बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें)</td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td>भूमि का विवरण (उपलब्धता संबंधी प्रमाण संलग्न करें)</td><td><table><tr><td>खाता संख्या</td><td>प्लॉट संख्या</td><td>रकबा</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>20</td><td>भूमि हस्तांतरण का प्रकार (लीज, डीड, दान इत्यादि)</td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td>समिति के क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन वाले खाद्य तेल उत्पाद का नाम एवं मात्रा</td><td><table><tr><td>खाद्य तेल उत्पाद का नाम</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>उत्पादन की मात्रा (क्विं0 में)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>22</td><td>मो0 500 / – रूपए का डी0डी0 संख्या / नकद जमा से संबंधित प्राप्ति रसीद (संलग्न करें)</td><td></td></tr>
</table>

समिति / FPO/SHG/Chamber of Farmers के
अध्यक्ष / सचिव / निदेशक / प्राधिकृत व्यक्ति
का हस्ताक्षर एवं मोहर

प्रपत्र–II

समिति का प्राधिकार–पत्र

मैं .... (अध्यक्ष / सचिव / निदेशक का नाम) यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं .... (समिति / FPO/SHG/Chamber of Farmers का नाम), जो .... अधिनियम, ... के अन्तर्गत निबंधित है, का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ तथा इस इच्छा की अभिव्यक्ति संबंधी आवेदन समर्पित करने वाले व्यक्ति .... (नाम) को अपनी समिति की ओर से विधिवत् प्राधिकृत करता हूँ।

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पता एवं हस्ताक्षर :–

हस्ताक्षर अभिप्रमाणित

समिति / FPO/SHG/Chamber of Farmers के
अध्यक्ष / सचिव / निदेशक का हस्ताक्षर एवं
समिति का मोहर

प्रपत्र–III

(Notarized)

शपथ–पत्र

मैं, श्री/सुश्री/श्रीमती .... पिता/पति श्री .... ग्राम ...., पो0..................., थाना ...., जिला ...., स्वेच्छापूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे .... समिति/FPO/SHG/Chamber of Farmers की ओर से यह शपथ पत्र दायर करने हेतु विधिवत् अधिकृत किया गया है (कार्यकारिणी/बोर्ड में पारित प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न)।

मैं शपथ पूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि यह .... समिति/FPO/SHG/Chamber of Farmers या इसके किसी भी पदधारक को किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्था के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है तथा इस समिति के विरूद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है अथवा अपराधिक मुकदमा में कोई दण्डादेश पारित नहीं किया गया है। हमारी समिति/FPO/SHG/Chamber of Farmers को पूर्व में वेजफेड की ओर से कोई प्रसंस्करण इकाई उपलब्ध नहीं कराया गया है। हमारी समिति/FPO/SHG/Chamber of Farmers के पास खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाई हेतु 05 डी0 भूमि उपलब्ध है एवं हमारी समिति/FPO/SHG/Chamber of Farmers योजना लागत की 10 प्रतिशत राशि एवं संचालन हेतु पूँजी स्वरूप लगभग 6–8 लाख रूपए लगाने में सक्षम है। वेजफेड द्वारा खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाई के संचालन हेतु निर्धारित किए गए सभी नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन हमारे समिति/FPO/SHG/Chamber of Farmers के द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त सभी विवरणी मेरे सूचना एवं संज्ञान में सत्य है। यदि कोई तथ्य असत्य/मिथ्या विवरणी पायी जाती है तो इसके लिए मेरे विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

नाम व पदनाम :– ....

स्थान :– ....

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रपत्र–IV

वित्तीय प्रस्ताव (Financial Bid)

1	समिति / FPO/SHG/Chamber of Farmers का नाम व पूर्ण पता	:–	
2	आवेदित खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाई का स्थल / नाम	:–	
3	मासिक संचालन राशि	:–	

समिति / FPO/SHG/Chamber of Farmers के
अध्यक्ष / सचिव / निदेशक / प्राधिकृत व्यक्ति
का हस्ताक्षर एवं मोहर।

वेजफेड, राँची।

विभागीय योजना वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत वेजफेड, राँची द्वारा खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाई हेतु वेजफेड से सम्बद्ध इच्छुक एवं योग्य सहकारी समितियों/FPO/SHG/Chamber of Farmers के चयन हेतु निम्नलिखित नियम एवं शर्तें निर्धारित की गई है :–

1. वेजफेड से सम्बद्ध सहकारी समितियाँ/FPO/SHG/Chamber of Farmers ही इस इच्छा की अभिव्यक्ति में भाग ले सकते हैं।
2. वेजफेड द्वारा दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित ''इच्छा की अभिव्यक्ति'' में भाग लेने हेतु वेजफेड से सम्बद्ध इच्छुक सहकारी समितियाँ/FPO/SHG/Chamber of Farmers द्वारा प्रबंध निदेशक, वेजफेड, राँची के नाम से मो0 500/– रूपए नगद/डी0डी0 जमा कर प्रपत्र एवं एवं नियम–शर्त वेजफेड कार्यालय से कार्य दिवस के दौरान अथवा विभागीय वेबसाईट http://cooperative.jharkhand.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।
3. खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाई से संबंधित प्रस्ताव दिनांक 13.12.2023 के अपराह्न 4:00 बजे तक वेजफेड कार्यालय में कार्यावधि में समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् समर्पित प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा।
4. बकाएदार/डिफॉल्टर सहकारी समितियों/FPO/SHG/Chamber of Farmers का चयन नहीं किया जाएगा।
5. जिन सहकारी समितियों/FPO/SHG/Chamber of Farmers को पूर्व में वेजफेड से किसी भी प्रकार का प्रसंस्करण इकाई दिया गया है, वे खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाई हेतु प्रस्ताव नहीं दे सकेंगे। एक सहकारी समिति/FPO/SHG/Chamber of Farmers से केवल एक ही प्रसंस्करण इकाई से संबंधित आवेदन प्रस्ताव स्वीकार किए जाएँगे।
6. निर्धारित योग्यता एवं मापदण्ड में अर्जित अंकों के आधार पर वेजफेड के व्यवसाय उप समिति–सह–निविदा समिति द्वारा संचालन हेतु समितियों/FPO/SHG/Chamber of Farmers का चयन किया जाएगा। योग्यता एवं मापदण्ड का निर्धारण मार्किंग स्केल के आधार पर किया जाएगा।
7. इच्छुक सहकारी समितियों/FPO/SHG/Chamber of Farmers द्वारा विहित प्रपत्र (I-IV) में सभी सूचनाओं के साथ प्रस्ताव समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
8. समिति/FPO/SHG/Chamber of Farmers को कम–से–कम विगत दो वर्ष का बैंक ट्रांजेक्शन का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
9. आवेदक समिति/FPO/SHG/Chamber of Farmers के पास यदि PAN एवं जी0 एस0 टी0 निबंधन से संबंधित प्रमाण उपलब्ध हो तो, आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा।
10. वेजफेड द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन चयनित सहकारी समितियों/FPO/SHG/Chamber of Farmers के साथ अलग से एकरारनामा किया जाएगा।
11. योजना कार्यान्वित करने हेतु समिति/FPO/SHG/Chamber of Farmers को स्वयं मार्जिन मनी/कार्यशील पूँजी की व्यवस्था करनी होगी।
12. चूँकि खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाई योजना में कार्यशील पूँजी देने का प्रावधान नहीं है। इसलिए वैसी समितियों/FPO/SHG/Chamber of Farmers का चयन किया जाएगा, जो योजना लागत का 10 प्रतिशत राशि अर्थात् मो0 2,42,600.00 (दो लाख बयालीस हजार छः सौ) रूपए एवं संचालन में लगभग 6–8 लाख रूपए का कच्चे माल क्रय करने हेतु पूँजी लगाने में सक्षम हो। इसकी पुष्टि समिति/FPO/SHG/Chamber of Farmers

के अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित टर्न ओवर के आधार पर की जाएगी एवं समिति / FPO/SHG/Chamber of Farmers द्वारा उक्त राशि लगाने संबंधी Notarized शपथ पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

13. चयनित सहकारी समिति / FPO/SHG/Chamber of Farmers द्वारा एकरारनामा के समय योजना लागत की 10 प्रतिशत राशि (मो0 2,42,600.00 (दो लाख बयालीस हजार छः सौ) रूपए) डी0डी0 / चेक के माध्यम से वेजफेड कार्यालय में समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
14. यदि समिति / FPO/SHG/Chamber of Farmers के द्वारा झूठा शपथ पत्र दिया जाता है और खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाई, कार्यशील पूँजी के अभाव में अच्छी तरह संचालित नहीं हो पाती है तो समिति / FPO/SHG/Chamber of Farmers के अध्यक्ष / सचिव / निदेशक / प्राधिकृत व्यक्ति के विरूद्ध सरकारी राशि के दुरूपयोग करने के आरोप में नियमानुसार विधिसम्मत् कार्रवाई की जाएगी।
15. समिति / FPO/SHG/Chamber of Farmers के नाम से न्यूनतम 05 (पाँच) डी0 भूमि उपलब्ध होना अथवा दान / लीज / निबंधित कराना अनिवार्य होगा।
16. **खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाई के संचालन की बेस प्राईस मो0 1,500.00 (एक हजार पाँच सौ) रूपए प्रति माह होगा। निविदा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में सफल आवेदक (अधिकतम संचालन राशि) के साथ निर्धारित नियमों एवं शर्तों के आधार पर एकरारनामा किया जाएगा।**
17. जिन समितियों / FPO/SHG/Chamber of Farmers को खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाई उपलब्ध कराया जाएगा, उन्हें एकरारनामा के समय एक वर्ष का संचालन राशि से संबंधित डी0डी0 / चेक वेजफेड कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। ससमय जमा नहीं किए जाने की स्थिति में 18 प्रतिशत सूद सहित राशि वसूलनीय होगी।
18. खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाई प्राप्त करने वाले समितियों / FPO/SHG/Chamber of Farmers द्वारा त्रैमासिक प्रतिवेदन वेजफेड में समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
19. समिति / FPO/SHG/Chamber of Farmers के निर्माण कराए गए शेड में समिति / FPO/SHG/Chamber of Farmers के नाम के उपर ''कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार योजनान्तर्गत वेजफेड, राँची के द्वारा वित्तपोषित'' लिखना आवश्यक होगा और इसपर होने वाले व्यय का वहन संबंधित समिति / FPO/SHG/Chamber of Farmers द्वारा किया जाएगा।
20. वेजफेड को समिति / FPO/SHG/Chamber of Farmers के सभी व्यवसायिक अभिलेख, सभा बही, रोकड़ बही इत्यादि का निरीक्षण का अधिकार सुरक्षित होगा।
21. समय–समय पर वेजफेड को यथा–आवश्यक नियम एवं शर्तें लागू करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
22. बिना कारण बताए इच्छा की अभिव्यक्ति को रद्द करने का अधिकार प्रबंध निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।

ह0 / –

प्रबंध निदेशक
वेजफेड, राँची।